न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 123/2023 ता0 रजु 24.07.2023

उनवान

1. ममता पुत्री हरिशंकर पत्नी घनश्याम विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी पैत्रक निवास मालपुरा हाल निवासी आहुजा उद्यान कॉलेज रोड, टोंक जिला टोंक (राज0)।

–वादीया–

बनाम

1. माया पुत्री हरिशंकर पत्नी रामअवतार विजय जाति महाजन पैत्रक निवास मालपुरा हाल निवासी श्योपुर रोड पिंजरा पोल गौशाला के सामने सांगानेर जयपुर (राज0)
2. पूजा पुत्री हरिशंकर पत्नी राधेश्याम विजय जाति महाजन पैत्रक निवास मालपुरा हाल निवासी विद्याधर नगर जयपुर (राज0)
3. तहसीलदार/लेण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह।

--प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् घोषणा इन्द्राज दुररूती व स्थायी निषेधाज्ञा

अभिभाषक वादी (प्रार्थी) :– श्री मोहम्मद इस्लाम।

(अप्रार्थी) :–

आदेश दिनांकः–12.04.2024

वाद वादिया का मुख्य रूप से कथन है कि आ0ख0न0 433, 434, 441, 442, कुल किता 4 रकबा 4.01 है0 वाके ग्राम नारेडा तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। उक्त आराजियात वादिया व प्रतिवादिया की पैत्रक है। जिसमें वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से अनुसार माता गीता उर्फ दीया के मरने के पश्चात् काश्त कर रहे है। माता के जीवन काल में वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 उनकी माता प्रत्येक 1/4 – 1/4 हिस्से अनुसार काश्त कर रहे थे। चूंकि माता की मृत्यु दिनांक 13.03.2012 को हो चुकी है। इसलिए अब उक्त वाद ग्रस्त आराजियात में वादिया व प्रतिवादी नं0 1, 2 का प्रत्येक 1/3 – 1/3 के हक हिस्से के मालिक व स्वामी है। वादिया अपने 1/3 हिस्से को काश्त कर लाभांश प्राप्त कर रही है।

वादिया के पिता हरिशंकर की अन्य सम्पति जो तहसील मालपुरा में स्थित थी इसलिए पिता की मृत्यु के पश्चात् वादिया के द्वारा तहसील मालपुरा व ग्राम नारेडा तहसील टोडारायसिंह की इस आराजियात के संबंध में एक वाद बाबत इस्तकरार हक, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां मु0नं0 179/1999 पेश किया था। जिसका निर्णय दिनांक 12.07.2001 को हो चुका था। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसील मालपुरा में स्थित आराजियात का अंकन तो वादिया के नाम निर्णय व डिक्री के अनुसार हो चुका किन्तु वाद ग्रस्त आराजियात में खातेदारी का अंकन वादिया व प्रतिवादीयान के नाम व बहिस्सा बराबर नही हुआ। जबकि दिनांक 12.07.2001 को पारित निर्णय के अनुसार निर्णय के अंतिम पैरा में आराजियात मुतदाविया वादिया व प्रतिवादीगण एवं उनकी माता जो तत्समय जीवित थी चारो के बहिस्सा बराबर खातेदारी घोषित की गई थी और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल होना था किन्तु उक्त अनुसार खातेदारी का अंकन वादिया एवं प्रतिवादीगण के नाम नही हुआ और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना का समय समाप्त हो गया। इसलिए यह वाद पुनः पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद ग्रस्त आराजियात जो वादिया के पिता हरिशंकर की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण गलत रूप से प्रतिवादिया नं0 1 माया व उनकी माता गीता देवी के नाम 1/2 – 1/2 हिस्से के अनुसार हो गया था, तत्समय वादिया और पूजा के नाम का अंकन नहीं हुआ था और माता के मरने के पश्चात उनके 1/2 हिस्से की खातेदारी वादिया व प्रतिया नं0 1 व 2 के नाम लगी जिससे यह कथन बखूबी साबित है कि वादिया व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 सगी बहिने है ओर उक्त आराजियात में तीनो बहिस्सा बराबर के मालिक स्वामी है। इसलिए वर्तमान रिकार्ड में जो अंकन हो रखा है उसे निरस्त किया जाकर वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित [illegible]

प्रतिवादिया नं0 1 जिसके नाम आराजियात [illegible] गलत रूप से 2/3 हिस्से की खातेदारी का अंकन हो रखा है। ओर वह उक्त कागजी अंकन के आधार पर आराजियात को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने को आमादा है। जिसके लिए उसने दिनांक 18.07.[illegible] हो एलानियां धमकी दी है कि उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करेगी वादिया को उसका 1/3 हिस्सा काश्त नही करने देगी। जिससे यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:58 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner